सं0:/59.3 / 58 / 2011

प्रेषक,

सचिव,
उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण,
उत्तर प्रदेश शासन,
लखनऊ

सेवा में,

निदेशक,
उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण,
उत्तर प्रदेश शासन,
लखनऊ

दिनॉक: मई 30 ,2011

विषयः--राज्य औद्यानिक मिशन योजनान्तर्गत वर्ष 2011--12 में टिश्यु कल्चर केला पौध के सम्बन्ध में

महोदय,

कृपया अपने पत्र दिनॉक 20 मई, 2011 का संदर्भ लेने का कष्ट करें। बाराबंकी में दिनॉक 25--5--2011 को माननीय मंत्री, उद्यान विभाग की अध्यक्षता में एक गोष्ठी का आयोजन किया गया था जिसमें लगभग 3000 कृषकों, जो इस वर्ष योजना से आच्छादित किये जाने हैं, द्वारा भी भाग लिया गया। इस बैठक में सभी इच्छुक कम्पनियॉ जो टिश्यू कल्चर केला पौध बनाती हैं, उनको भी आमंत्रित किया गया था और उनमें से कुई कम्पनियों ने भाग लिया था। टिश्यू कल्चर केला पौध को बढ़ावा देने के संदर्भ ड्रिप पद्यति को बढ़ावा देने के लिये ड्रिप इर्रिगेशन से संबंधित कम्पनियों को भी आमंत्रित किया गया था।

पूर्व में जनपदवार टिश्यू कल्चर केला पौध कम्पनियों को जो कार्य आवंटित किये गये थे उसके सम्बन्ध में आपके उक्त पत्र में कतिपय तथ्य उठाये गये हैं। भारत सरकार द्वारा कुल 47 कम्पनियों को इस कार्य के लिये सूचीबद्ध किया गया है लेकिन गत वर्ष विभाग द्वारा आमंत्रित करने पर मात्र 21 व 22 कम्पनियों ने प्रदेश में काम करने पर सहमति दी गयी जिसके सापेक्ष अन्ततोगत्वा 7 व 8 कम्पनियों ने प्रदेश में द्वारा कार्य किया गया। इस वर्ष पहली बैठक में लगभग 20 कम्पनियों ने भाग लिया था।

शासनादेश संख्या–1865/58–2011–151/2011, दिनांक 24 जून, 2011 द्वारा पॉच जनपदों में मनरेगा के तहत पायलट बेसेस पर केले के प्लाण्टेशन के आदेश जारी किये गये हैं। इस कम में जो एलोकेशन तैयार किया गया है वह **संलग्नक–2** पर है।

उप निदेशक, उद्यान एवं जिला उद्यान अधिकारी जनपद को आवंटित कम्पनियों के साथ लगातार अनुश्रवण कर यह सुनिश्चित करेंगे कि अच्छी गुणवत्ता के प्लांटिंग मैटीरियल किसानों को समय पर उपलब्ध कराये जायें। किसी कठिनाई की स्थिति में अथवा एलोकेशन में परिवर्तन की आवश्यकता होने पर तत्काल मुख्यालय को अवगत करायेंगे।

2. सीड की व्यवस्थाः

इस संबंध में एस0एल0ई0सी0 की बैठक दिनांक 20.05.2011 में लिये गये निर्णय के अनुसार निम्नानुसार कार्यवाही की जायेगी।

(i) आपूर्ति का कार्य पी0सी0एफ0, एग्रो, नैफेड, हैफेड व केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकार के अन्य पी0एस0यू0 अथवा संस्थाओं के माध्यम से की जा सकती है।

(ii) इन संस्थाओं के मध्य फसलवार बीज तथा जनपदों का बटवारा किया जाये ताकि आपूर्ति किये गये मैटेरियल की गुणवत्ता सुनिश्चित करने एवं फालोअप एक्शन में आसानी रहे।

(iii) आपूर्ति ओरिजनल मैनुफैक्चरर एवं देश के सर्वाधिक प्रतिष्ठित फर्मो व संस्थाओं से ही ली जाय।

(iv) आपूर्ति हेतु ओरिजिनल मैनुफैक्चरर व फर्मो के चयन के लिए सचिव, उद्यान की अध्यक्षतः में एक समिति बनाई जाये, जिसमें सभी आपूर्ति हेतु अधिकृत संस्थाओं उदारणतः पी0सी0एफ0, एग्रो, हाफेड आदि के एम0डी0 सदस्य के रूप में भाग लें। कार्य परिषद में उच्च कोटि की गुणवत्ता के प्लांटिंग मैटीरियल की आपूर्ति पर विशेष बल दिया।

(v) हल्दी एवं अदरख की तात्कालिक रोपण आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए हल्दी की Rajendra Sonia, Azad Haldi-1, NHD-18, Vallabh priya, Roma प्रजाति तथा अदरख की स्थानीय रूप से उच्च उत्पादन देने वाली प्रजाति की व्यवस्था उपरोक्त चिन्हित संस्थाओं से की जायेगी।

(vi) लहसुन की संस्तुत प्रजातियों के बीज की व्यवस्था एन.एच.आर.डी.एफ. से जिला औद्यानिक मिशन द्वारा अग्रिम बुकिंग के आधार पर की जायेगी तथा अग्रिम बुकिंग हेतु एन.एच.आर.डी.एफ. को वांछित 25 प्रतिशत धनराशि अग्रिम के रूप में दिये जाने की अनुमन्यता होगी।